

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल: RMSCSUPPLY@RAJASTHAN.GOV.IN

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsh.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2024-25/4718

दिनांक : 31/3/25

कार्यालय आदेश

M/s. Unicure (India) Ltd C-22, 23, Sector-3, Noida-201301 को निम्न औषधि/सर्जिकल/सूचर्स हेतु क्रयादेश जारी किये गये थे, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	औषधि का नाम	निविदा क्रमांक	क्रयादेश क्रमांक/दिनांक	आदेशित मात्रा	आपूर्ति मात्रा	फर्म को दिये गये नोटिस का विवरण
1	Chlordiazepoxide 25 mg Tab. I.P. [NRD-574]	10/2022-23	6033/30.01.2023	4300	0	1202/20.06.2024
			4055/13.10.2022	3600	0	

फर्म द्वारा निर्धारित समय में उक्त औषधि/सर्जिकल/सूचर्स के जारी क्रयादेशों के विरुद्ध शून्य/50 प्रतिशत से कम आपूर्ति करने पर उक्तानुसार नोटिस जारी किया गया। प्रकरण को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 30.12.2024 के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिए अवसर प्रदान किया गया जिसमें फर्म की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। कम्पनी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति सदस्यों के समक्ष कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार-विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि/सर्जिकल/सूचर्स की शून्य/50 प्रतिशत से कम मात्रा आपूर्ति की गई हैं, जो राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम से हुए अनुबन्ध का उल्लंघन है।

अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 30.12.2024 की अनुशंसा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s. Unicure (India) Ltd C-22, 23, Sector-3, Noida-201301 को औषधि Chlordiazepoxide 25 mg Tab. I.P. [NRD-574] हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नेहा गिरि
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.03.28 08:29 IST
Reason: Approved

क्रमांक : एफ.04()/आरएमएससी/सप्लाई/2024-25/4718
निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 31/3/25

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
03. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
04. मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
05. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससीएल, जयपुर।
06. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSH/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
07. Drug Controller General (India) New Delhi
08. औषधि नियंत्रक राजस्थान/उत्तर प्रदेश।
09. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/प्रोक्योरमेंट/वित्त/लॉजिस्टिक), आरएमएससीएल जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससीएल।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह, राजस्थान जयपुर।
12. M/s. Unicure (India) Ltd C-22, 23, Sector-3, Noida-201301
13. गार्ड फाईल।

नेहा गिरि
आई.एस.
प्रबन्ध निदेशक

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2025.03.28 10:08:29 IST
Reason: Approved